





# नर्सरी, केजी, कक्षा एक में दाखिले की प्रक्रिया शुरू

फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर, पहली सूची 12 जनवरी को जारी होगी: शिक्षा निदेशालय

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के निजी स्कूलों में सामान्य वर्ष के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा एक में 23 नवंबर से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि दाखिला फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है।

प्रवेश की पहली सूची 12 जनवरी को जारी होगी। अईटीएल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्य ने मीडिया से बताया कि अधिकार दाखिले ऑनलाइन हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अधिभावकों के लिए क्वारार कोड जोड़ा है। जिससे कि वे आसानी से फॉर्म डाउनलोड कर सकें। आचार्य ने कहा, हमने अभी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है और यह अधिकार ऑनलाइन ही हो रहा है। हमने इस साल एक नई चीज़ की है अधिभावक आसानी से फॉर्म हासिल कर सकें। इसके लिए हमने क्वारार कोड को स्कूल में नर्सरी के लिए कुल 190 सीट हैं और हर साल लगभग 2,000 अधिभावक दाखिला करना चाहिए। अधिभावक इस कोड को फॉर्म भरते हैं। निजी स्कूलों में अधिक स्पू से क्रमशः तीन, चार और पांच साल होनी चाहिए।



एक परिचयात्मक वीडियो भी है जिसमें अधिभावकों के लिए जानकारी दी गई है। अधिकार अधिभावक का मानकी दोहरे हैं इसलिए यह उनके लिए बेहतर काम कर रहा है। हमने इस साल एक नई चीज़ की है अधिभावक आसानी से फॉर्म हासिल कर सकें। इसके लिए हमने क्वारार कोड को स्कूल में नर्सरी के लिए कुल 190 सीट हैं और हर साल लगभग 2,000 अधिभावक दाखिला करना चाहिए। अधिभावक इस कोड को फॉर्म भरते हैं। निजी स्कूलों में अधिक स्पू से क्रमशः तीन, चार और पांच साल होनी चाहिए।

कमज़ोर वर्ग (ईडल्यूएस) और वर्चिट समूह (डीजी) के छात्रों एवं दिवांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित होती है। उनके लिए अलग से सूची जारी की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार, प्री-स्कूल (नर्सरी), प्री-प्राइमरी (केजी) और कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में स्कूल प्रमुख के स्तर पर प्रवेश के लिए आयु में 30 दिनों तक की छूट दी जा सकती है।

अधिसूचना के अनुसार, पहली सूची जारी होने के बाद स्कूल 13-22 जनवरी के दर्जे अधिभावकों के सवालों का जवाब देने सकते हैं।

अधिसूचना के मुताबिक, अधिभावक सीधे त्रिवित आवेदन के माध्यम से आयु में छूट के लिए स्कूल प्रमुखाधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। डीओई ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में जिला उप निदेशक की अधिकारी में एक नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए।

चाहिए कि निजी गैर-सहायता प्राप्त मानवों द्वारा प्राप्त स्कूल निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपनी बेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल के मानदंड और अपनी अंक रिपोर्टों के लिए तथा अपलोड करने के अनुरोध वाली वाचिका पर बृहस्पतिवार को पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

अधिसूचना के मुताबिक, निगरानी

प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करेगा कि खुली

सीट और अपनी अंक प्रगतियों के तहत सभी स्कूल दाखिले के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की जानकारी और उन्हें विदेशी अधिकार देने के लिए आवेदन करने के लिए आयुर्वेदिक नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। ड्रॉ की प्रक्रिया की विभागीय विभागों में जिला उप निदेशक की अधिकारियों को मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। ड्रॉ की प्रक्रिया की विभागीय विभागों में जिला उप निदेशक की अधिकारियों को मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

बाले नाम में किसी तरह की छूट नहीं है और पुलिस को प्राथमिकी दर्जे कर कार्रवाई करनी चाहिए।

कार्रवाई यह भी याचारी शायद मनमोहन की अव्यक्ति वाली पीठ ने

कहा कि पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद कार्रवाई आयोग बढ़ेगी।

पीठ ने दिल्ली पुलिस से 10

दिनों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की

आगली सुबह 21 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की।

## आसान पर छाई धूंध की चादर



## बर्बरता: वेलकम में किशोर ने लड़के को 55 बार चाकू धोपा

● पहले गला काटा, फिर नाचते हुए शव के घसीटा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वेलकम कलानी में पिछले सप्ताह नवों में धूत 16 वर्षीय एक किशोर ने एक अन्य किशोर पर चाकू से 55 बार हमला किया। इस दौरान आरोपी को किशोर का गला रक्त तथा नाचते हुए पीछे के शव के सड़क पर छोड़ा। घटना का सीसीटीवी प्लेज समें दाखिले के लिए न्यूनतम तक तक्रार की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि जवाब दाकू चाकू के जनता मजदूर कलानी में हुई इस हत्या की भावावह तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। 2.23 मिनट के मूर्झे में आरोपी अपने आसपास के लोगों को धमकी देते हुए नंजर आ रहा है। आरोपी ने



किशोर किया कि वह उस 17 वर्षीय किशोर को नहीं जानता था, जिससे उसे बिधायी खरीदारों के लिए पैसे मांगे थे। आरोपी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त जाँच टिक्की ने कहा, हमने हत्या में इस्तेमाल हथियार पहले ही बरामद कर लिया है। हम जाँच कर रहे हैं कि उसने चाकू कहाँ से खरीदा था। मंत्रालय रात करीब सब ग्याह बजे हुई थी, घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मौजूद होना चाहिए।

सीसीटीवी फ्लूट में आरोपी को एक संकरी गली में एक व्यक्ति को बसीते हुए और चाकू से बाक करता है। अपराध की जांच कर रहे हैं एक अधिकारी ने कहा, वह यही नहीं स्थान घटना के अंतर्गत देते वक्त उसे नाचते हुए देखा गया। एक व्यक्ति ने यह देखा के लिए दरवाजा खोलने की क्षमिया की कि क्या हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। ग्राही बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। ड्रॉ की प्रक्रिया की विभागीय विभागों में जिला उप निदेशक की अधिकारियों को मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

यह तब शुरू हुआ जब पीड़ित ने आरोपी के लिए विद्यार्थी खरीदारों के लिए बात से नाच रहे थे। आरोपी ने बात को लेकर दोनों के बीच कहाँसुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बर्बाद हो गई। आरोपी ने जाफराबाद निवासी 17 वर्षीय किशोर के साथ जबरदस्ती की। आरोपी ने पीड़ित का गला तब तक दबाए रखा जब तक वह बोहोच नहीं हो गया। इसके बाद उसने अपनी जेसे से एक छोटा चाकू नियानी और उस पर चाकू बार बार कर दिया। इसके बाद वह

उस घसीटक एक गली में ले गया। पीड़ित के चाहे, गर्दन, पीठ और आंखों के नीचे 55 से

अधिक अधिकारी ने निशाने के लिए दरवाजा खोले।

घटना के अंतर्गत देखते वक्त उसे नाचते हुए देखा गया। एक व्यक्ति ने यह देखा के लिए दरवाजा खोलने की क्षमिया की कि क्या हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। ग्राही बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

उद्देश्य बाल अधिकार कर आयोगी को अपराधिकारों की मौजूदगी में नियानी प्रकोष्ठ का गठन क

















